



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2025/D-38

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 264063 दिनांक 30/10/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
---------	--------------	---------------------------	---------------	------------------	--	--------------	-------------------------------	----------------------------------



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

1	Suja W/o BHANWAR LAL	श्री भूरा राम पुत्र स्व० श्री गुल्ला राम	49	175.22 SQ. YARD	Private	JAMUNA ENCLAVE Sector/Block-	Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E- Patta)	निजी खातेदारी की आवासीय योजना जमुना एनक्लेव के भूखण्ड संख्या 49 क्षेत्रफल 175.22 व०ग० की लीजडीड जारी करने हेतु आवेदक श्रीमती सूजा पत्नी स्व० श्री भूरा राम द्वारा स्व घोषणा पत्र के साथ क्षतिपूर्तिबंध पत्र, खातेदार द्वारा श्री भूरा राम पुत्र स्व० श्री गुल्ला राम के पक्ष में जारी पजेशन लेटर, साईट प्लान, अनापति प्रमाण पत्र की मूलप्रति प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार दिनांक 22.01.2024 को श्री भूरा राम पुत्र स्व० श्री गुल्ला राम की मृत्यु होने पर इनके विधिक वारिसान श्री नन्दू राम, श्री बाबूलाल चौधरी, श्री कैलाश चौधरी, श्री रतन लाल चौधरी, श्री राहुल चौधरी, बीना चौधरी, गोपी देवी द्वारा दिनांक 29.07.2025 को श्रीमती सूजा पत्नी स्व० श्री भूरा राम के पक्ष में रजि० हकत्याग किया गया है।
---	----------------------------	--	----	--------------------	---------	------------------------------------	--	---



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Suja W/o BHANWAR LAL को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमे प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |